भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1940
उत्तर देने की तारीख-06/08/2025

एनईपी, 2020 के कार्यान्वयन का मूल्यांकन

1940 श्री रविचंद्र वद्दीराजू:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के प्रमुख प्रावधानों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में एक समान कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ग) क्या एनईपी कार्यान्वयन का आज की तिथि तक कोई स्वतंत्र प्रभाव आकलन किया गया है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) और (ख): राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा जन्म या पृष्ठभूमि की परिस्थितियों के कारण सीखने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रहे। इसमें सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) की चिंताओं को ध्यान में रखा गया है, जिनमें महिलाएं और ट्रांसजेंडर व्यक्ति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और अन्य वर्ग शामिल हैं। इस नीति का उद्देश्य स्कूली और उच्चतर शिक्षा में पहुंच, भागीदारी और अधिगम परिणामों में सामाजिक वर्ग के अंतर को समाप्त करना है। तदनुसार, स्कूल और उच्चतर शिक्षा दोनों में कई परिवर्तनकारी रूपान्तरण हुए हैं।

स्कूली शिक्षा में अनेक पहल की गई हैं जैसे कि स्कूलों के उन्नयन के लिए पीएम श्री (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया); सभी बच्चों के लिए समावेशी और उचित कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए समग्र शिक्षा; ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान सुनिश्चित करने के लिए समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ने में दक्षता के लिए राष्ट्रीय पहल (निपुण भारत); विद्या-प्रवेश-तीन महीने के खेल-आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल के लिए दिशानिर्देश; शिक्षा के लिए सुसंगत बहु-मोड पहुंच को सक्षम करने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करने के लिए पीएम ई-विद्या, ई-बुक्स और ई-कंटेंट वाले वन नेशन

वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में दीक्षा (ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर), परख (समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण); निष्ठा (स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल) 1.0, 2.0 और 3.0; विद्या समीक्षा केंद्र; एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम; शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनपीएसटी); शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को सक्रिय और उत्प्रेरित करने के लिए एकीकृत राष्ट्रीय डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा निर्माण (एनडीईएआर), 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी निरक्षरों को लक्षित करते हुए "नव भारत साक्षरता कार्यक्रम या उल्लास" योजना का कार्यान्वयन, आदि।

उच्चतर शिक्षा में, विभिन्न पहल/सुधार किए गए हैं जैसे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीआरएफ) और स्नातक कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अर्हता रूपरेखा (एनएचईक्यूएफ) के साथ दिशानिर्देश/विनियमन जैसे पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या रूपरेखा; उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक कार्यक्रम में एकाधिक प्रवेश और निकास; उच्चतर शिक्षा संस्थाओं का बहु-विषयक संस्थाओं में रूपान्तरण; एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रमों का अध्ययन करना; स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री (एपीएएआर आईडी) जो पूर्व-प्राथमिक से उच्चतर शिक्षा तक उनकी शैक्षिक यात्रा और उपलब्धियों को चिह्नित करने के लिए आजीवन पहचान के रूप में कार्य करेगी; मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना की शुरुआत के साथ एक सरल, पारदर्शी और विद्यार्थी-अनुकूल और पूर्णत: डिजिटल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम के समानांतर मुक्त, गारंटर मुक्त ऋण को सक्षम बनाना; ओडीएल/ऑनलाइन शिक्षा के परिशोधित विनियमन; स्वयं प्लेटफॉर्म के माध्यम से नियमित पाठ्यक्रमों में 40% क्रेडिट तक की अनुमति देना; विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत मौजूदा जनशक्ति के कौशल और कौशल उन्नयन और पुनःकौशलीकरण को उन्नत करने के उद्देश्य से नए स्वयं प्लस पोर्टल का शुभारंभ; उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के प्रशासन में समर्थ के माध्यम से प्रवेश से लेकर डिग्री प्रदान करने तक प्रौद्योगिकी का एकीकरण; उद्योग विशेषज्ञों के साथ कार्य करने के लिए एचईआई को सक्षम बनाने के लिए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस संबंधी दिशानिर्देश; भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में विदेशी विद्यार्थियों को प्रवेश देने हेतु अतिरिक्त सीटों के लिए दिशानिर्देश; अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थाओं की बढ़ती प्रतिष्ठा; शिक्षा में भारतीय ज्ञान प्रणाली को शामिल करना आदि।

(ग): राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) की घोषणा के उपरांत, विभिन्न हितधारकों द्वारा अनेक प्रभावशाली सुधार और पहल की गई हैं और पिछले पांच वर्षों में कार्यान्वयन के दौरान, एनईपी 2020 का प्रभाव स्कूली शिक्षा और उच्चतर शिक्षा की नीतिगत वीथिकाओं (कॉरीडोर) और कक्षाओं में स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। एनईपी 2020 के पांच वर्ष पूरे होने पर, भारत शिक्षा में सार्थक परिवर्तन का साक्षी बना है। एनईपी में विद्यार्थियों को लचीलेपन, मूलभूत साक्षरता और भविष्य की तैयारी के साथ सशक्त बनाया गया है, जो वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करता है।

फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी और मिडिल स्तर (क्रमशः कक्षा 3, 6 और 9) के अंत में विद्यार्थियों के बीच दक्षताओं के विकास में आधारभूत प्रदर्शन को समझने के लिए दिनांक 04.12.2024 को सम्पूर्ण भारत में "परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024" आयोजित किया गया था। देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 781 जिलों के 74,000 से अधिक स्कूलों के 21.15 लाख से अधिक विद्यार्थियों तथा 2.70

लाख शिक्षकों ने इस सर्वेक्षण में भाग लिया था। सर्वेक्षण 2024 में, कुल 63% प्रतिभागी विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्रों से थे, जिससे बड़े पैमाने पर मूल्यांकन में ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों का सुदृढ़ और समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर के रिपोर्ट कार्ड https://dashboard.parakh.ncert.gov.in/en पर उपलब्ध हैं।

शिक्षा प्लस हेतु एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडाइज़+) के अनुसार, वर्ष 2014-15 और 2023-24 के बीच, भारत की स्कूल शिक्षा प्रणाली ने प्रमुख शैक्षिक संकेतकों में परिमेय सुधार देखा। इसमें लगभग 14.72 लाख स्कूलों और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से फाउंडेशनल से माध्यमिक स्तर तक लगभग 24.8 करोड़ विद्यार्थियों के आंकड़े हैं। शिक्षकों की संख्या 85.6 लाख से बढ़कर 98.07 लाख हो गई, जिसमें शिक्षिकाओं की संख्या 40.2 लाख से बढ़कर 52.3 लाख हो गई, जो अधिक लिंग-संतुलित कार्यबल को दर्शाता है। प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर घटकर 1.9%, उच्च प्राथमिक स्तर पर 5.2% और माध्यमिक स्तर पर 14.1% हो गई, स्कूल शिक्षा के औसत वर्ष 6.28 से बढ़कर 7.33 वर्ष हो गए, और स्कूल शिक्षा के अपेक्षित वर्ष 11.75 से बढ़कर 13.36 वर्ष हो गए, जबकि युवा साक्षरता दर 94.6% से बढ़कर 97% हो गई, जो आधारभूत शिक्षा और प्रसार पर एनईपी 2020 सुधारों के प्रभाव को प्रदर्शित करता है।

उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में, वार्षिक वेब आधारित 'अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई)' उच्चतर शिक्षा संबंधी आंकड़ों का एक व्यापक स्रोत है। एआईएसएचई 2022-23 के अनुसार, वर्ष 2014-15 से उच्चतर शिक्षा में नामांकन में 30% की वृद्धि हुई है, जो 4.46 करोड़ तक पहुंच गया है। वर्ष 2014-15 में 46.06 लाख की तुलना में वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का नामांकन 69.13 लाख है, जो 50.1% की वृद्धि दर्शाता है। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का नामांकन वर्ष 2014-15 में 16.41 लाख से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 28.72 लाख हो गया है, जो 75% की वृद्धि दर्शाता है। कुल स्टेम नामांकनों की संख्या 99.76 लाख है।

उच्चतर शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों के परिणामस्वरूप अधिकाधिक उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में स्थान मिल रहा है। क्यूएस 2026 में, 54 भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थाओं/विश्वविद्यालयों को स्थान दिया गया है, जबकि क्यूएस 2021 में यह संख्या 28 थी। क्यूएस 2026 में, शीर्ष 500 में 10 भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, एशिया 2025 में भारत का दूसरा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है, जिसमें 163 विश्वविद्यालय और 7 संस्थाएं शीर्ष 100 में शामिल हैं। वर्ष 2025 की क्यूएस विषय रैंकिंग में 79 भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थाएं शामिल थीं, जो गत वर्ष के 69 से 10 अधिक है और यह 14% की वृद्धि दर्शाता है। भारतीय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व 533 प्रविष्टियों में किया गया, जो पिछले संस्करण में 424 प्रविष्टियों से 25.7% अधिक है।

भारत सरकार (जीओआई) के पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क और भौगोलिक संकेत महानियंत्रक कार्यालय की वार्षिक रिपोर्ट (2023-24) के अनुसार, भारत ने बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिसमें 2023-24 में 92,168 पेटेंट के आवेदन किए गए हैं - यह वर्ष 2014-15 से 115% से अधिक की वृद्धि है। इस वृद्धि का एक प्रमुख कारक शैक्षणिक संस्थाओं का योगदान रहा है। घरेलू शिक्षण संस्थानों द्वारा पेटेंट आवेदन वर्ष 2021-22 में 7405 से वर्ष 2023-24 में 23,306 तक तीन गुना से

अधिक हो गए हैं। भारत में नवाचार को बढ़ावा देने में शैक्षणिक संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वर्ष 2023-24 में, उन्होंने 23,306 पेटेंट आवेदन किए, जो उस वर्ष आवेदित सभी पेटेंट का 25.28% है। यह अनुसंधान और नये विचारों के प्रति उनके सुदृढ़ और बढ़ते योगदान को दर्शाता है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के 'अनुसंधान एवं विकास संबंधी आंकड़ों पर एक नज़र 2022-23' के अनुसार, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग (एस एंड ई) में पीएचडी की संख्या के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुसंधान और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के कारण वैश्विक नवाचार सूचकांक (जीआईआई) में भारत की रैंकिंग को वर्ष 2015 के 81वें स्थान से वर्ष 2020 में 48वें स्थान पर पहुंच गई है और वर्तमान में वर्ष 2024 में यह 39वें स्थान पर है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भारतीय उच्चतर शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के अंतरराष्ट्रीयकरण के निरंतर प्रयासों ने प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालयों को भारतीय शिक्षा परिदृश्य में प्रवेश करने में सक्षम बनाया है। भारत में अपतटीय परिसर स्थापित करने के लिए यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इटली जैसे देशों के विश्व स्तर के 11 विश्वविद्यालयों को आशय पत्र जारी किए गए हैं। यह उल्लेखनीय है कि साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में गुरुग्राम में अपने परिसर का संचालन आरंभ कर दिया है। दो ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों- डीकिन विश्वविद्यालय और वोलोंगोंग विश्वविद्यालय- ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में प्रचालन आरंभ कर दिया है। इसके अतिरिक्त, यूके स्थित क्वीन्स यूनिवर्सिटी बेलफास्ट और कोवेंट्री विश्वविद्यालय को भी गिफ्ट सिटी में परिसर स्थापित करने का अनुमोदन मिल गया है। आईआईटी मद्रास (जंज़ीबार) और आईआईटी दिल्ली (अबू धाबी) जैसे भारतीय संस्थान वैश्विक स्तर पर विस्तार कर रहे हैं। आईआईएम, अहमदाबाद और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) सरकार ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक नगर (डीआईएसी) में आईआईएमए दुबई परिसर की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

एनईपी 2020 का उद्देश्य भारत की परंपराओं और स्थानीय संदर्भों से जुड़े रहते हुए अंतरराष्ट्रीय शिक्षा स्तरों को पूरा करना है। इसमें भारत की शिक्षा प्रणाली में एक व्यापक परिवर्तन की भी परिकल्पना की गई है, जिसमें शिक्षा को अधिक समावेशी, समग्र और भविष्य के लिए तैयार करने के उद्देश्य से सुव्यवस्थित सुधारों की एक शृंखला शामिल है। एनईपी 2020 में अपने कार्यान्वयन के लिए अलग-अलग समय-सीमा, सिद्धांत और कार्यप्रणाली प्रदान की गई है।
